AY

संख्या– /XV-3/2016-03(96)/2003

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) **देहरादूनः दिनांक 16 जनवरी, 2017**

विषय– केन्द्रपुरोनिधानित योजना अन्तर्देशीय जल कृषि एवं मात्स्यिकी का विकास के घटक मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1188/म०पा०वि०अभि०/2016–17, दिनांक 09.12.2016 के क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या–31013/02/2001-FY(3), दिनांक 13.07.2016 में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार केन्द्रपुरोनिधानित योजना मत्स्य पालक विकास अभिकरण (75% केन्द्रपोषित) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹ 56.00 लाख में से ₹ 18.67 लाख अवमुक्त किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 37.33 लाख के सापेक्ष **राज्यांश** कुल **₹ 5.05 लाख (₹ पाँच लाख, पाँच हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 एवं समय–समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. योजना के सम्बन्ध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो समक्ष अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। शासन द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।
4. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
5. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
6. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी व कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा, ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लिया जा सकेगा।

क्रमशः–.....2

7. किसी भी क्रय/विक्रय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, (समय–समय पर यथा संशोधित) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
8. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जायेया।
9. योजना के सम्बन्ध में **उपयोगिता प्रमाण पत्र** शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–28 में लेखाशीर्षक–2405–मछलीपालन–00–आयोजनागत–190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा उपक्रमों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–01–मत्स्य पालक विकास अभिकरण (75% के०स०)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–965/XXvII(1)/2016, 19 अगस्त, 2016 में प्रदत्त निदेर्शों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या– 52 (1)/XV-3/2016-03(96)/2003 (मत्स्य बजट) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
अपर सचिव

क्रमशः–.....2

शासनादेश सं०– 52 /XV-3/2016-03(96)/2003 (मत्स्य बजट) दि० 06 जनवरी, 2017 का संलग्नक

मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत प्रस्तावित जनपदवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य (वर्ष 2015–16 की अवशेष धनराशि ₹ 5.05 लाख के सापेक्ष वर्ष 2016–17 हेतु)

जनपदों हेतु निर्धारित वित्तीय लक्ष्य –

क्र० सं०	जनपद	वित्तीय लक्ष्य (धनराशि ₹ लाख में)			
		मैदानी तालाब निर्माण	मैदानी तालाब सुधार	इनपुट (निवेश)	कुल
1.	देहरादून	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	हरिद्वार	4.41	0.00	0.64	5.05
3.	उधमसिंह नगर	0.00	0.00	0.00	0.00
योग		**4.41**	**0.00**	**0.64**	**5.05**

जनपदों हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य –

क्र० सं०	जनपद	भौतिक लक्ष्य (हैक्टेयर में)		
		मैदानी तालाब निर्माण	मैदानी तालाब सुधार	इनपुट (निवेश)
1.	देहरादून	0.00	0.00	0.00
2.	हरिद्वार	7.35	0.00	6.40
3.	उधमसिंह नगर	0.00	0.00	0.00
योग (कुल लक्ष्य)		**7.35**	**0.00**	**6.40**

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव